



Circular

Circular no: PFRDA/2023/30/SUP-CRA/10

27th Oct, 2023

To

All NPS Stake Holders

Subject: Facility of Systematic Lump sum Withdrawal (SLW) for NPS Subscribers

As per the existing exit guidelines, the subscribers post 60 years/superannuation can defer availing of annuity & withdrawing the lump sum on any combination till 75 years of age. The lump sum amount can be withdrawn in a single tranche or it can be withdrawn on an annual basis. If withdrawn annually, the Subscriber has to initiate the withdrawal request each time and authorized.

2. In accordance with Regulation 3 and Regulation 4 of PFRDA (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015 and amendments therein, it is proposed to provide the option of phased withdrawal of the lump sum through Systematic Lump Sum Withdrawal (SLW) facility. The subscribers are allowed to withdraw up to 60% of their pension corpus, through the SLW on a periodical basis viz. monthly, quarterly, half-yearly or annually for a period till 75 years of age as per the choice at the time of their normal exit.

3. All Nodal offices, Points of Presence, NPST and Corporate can disseminate the information about SLW for the associated Subscribers who superannuate or reaching the age of 60 years and plan to exit from NPS. Central Record Keeping Agencies (CRAs) can publish FAQs and release educational podcasts on SLW, highlighting its benefits and explaining the process of initiating SLW on their websites and social media platforms.

This circular is issued in exercise of powers conferred under section 14 (1) of The Pension Fund Regulatory & Development Authority Act, 2013.

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2023/30/एसयूपी-सीआरए/10

27 अक्टूबर, 2023

प्रति,

सभी एनपीएस हितधारक

विषय : एनपीएस अभिदाताओं हेतु व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (एसएलडब्ल्यू) की सुविधा

मौजूदा निकासी दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिदाता 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी की सुविधा को और एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को 75 वर्ष की आयु तक, किसी भी युग्म में स्थगित कर सकते हैं। एकमुश्त राशि को एकल किश्त में या वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है। यदि वार्षिक आधार पर निकाला जाता है, तो अभिदाता को प्रत्येक बार निकासी अनुरोध शुरू करके उसे अधिकृत करना होगा।

2. पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के विनियम 3 और विनियम 4 और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार, व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (एसएलडब्ल्यू) सुविधा के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध प्रत्याहरण का विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव है। अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आवधिक रूप में अर्थात् मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर उनकी सामान्य निकासी के समय उनके चयन के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक, अपने पेंशन कोष का 60% तक निकालने की अनुमति दी गई है।

3. सभी नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व, एनपीएसटी और कॉरपोरेट, अपने उन संबद्ध अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो 60 वर्ष की आयु में हों या सेवानिवृत्त हो रहे हों और एनपीएस से निकासी की योजना बना रहे हों। केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से एसएलडब्ल्यू पर आधारित एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) को प्रकाशित और उसकी जानकारी से जुड़े पॉडकास्ट को जारी कर सकते हैं, जिनमें इसके लाभों को दर्शाया गया हो और एसएलडब्ल्यू शुरू करने की प्रक्रिया बताई गई हो।

यह परिपत्र पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

मुख्य महाप्रबंधक